

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम 10

फर्द अहकाम

6.5.15 बकुलाय उप. / आरोप नही लिखा जा सका
आइन्दा वस्ते आदेश दि० 25.5.15 को पेश हो

7.20.15 पत्रावली जनरल पेशी से आज पेश हुई /
१० साक्ष्य बहर पच्यो है / बकुलाय उपस्थित
नाराजुमार दिनांक 17.8.15 को पेश है /

लालकृष्ण कुमार
वार्ड ऑफिसर

17.2.15 ठावकषा
18.2.15 बकुलाय उपस्थित / १० साक्ष्य मुनावलाय
से पेश है / नाराजुमार दिनांक 14.9.15
को पेश है /

4.9.15 पत्रुलाय उप. / कहे आदेश दिनांक 16.10.15 को
पेश है /

10.7.15 वादी वकील उप. / आरोप नही लिखा जा सका है
वस्ते पुनः बहर दिनांक 27.10.15 को पेश हो

7.10.15 पत्रावली पेश हुई / वादी वकील उपस्थित नहीं है
कोर्ट का आवाज दिलाई गई / फिर भी वादी वकील
एवं वादी में से कोर्ट भी उपस्थित नहीं थी अतः
आदम हाजिरी आदम पैरवी में दारा खारिज किया
जाता है पत्रावली फैसल सुमार होकर नभ्यसे
कम होकर दारिफ्त दफतर हो /

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम 10

फर्द अहकाम

6.5.15 वकूलाय उप. / आरोप नही लिखा जा सका
आइन्दा कस्ते आदेश दि० 25.5.15 को पेश हो

7
0.15 पत्रावली जिनसे पेशी से काज पेश हुई।
१० साक्ष्य बहर पच्यो है। बकुबाब उपस्थित
वाकनुसार दिनांक 17.8.15 को पेश है।

लामकिशुमार
वा२ उ० उ०

12.8.15 ठाकुर
18.8.15 वकूलाय उपस्थित / १० साक्ष्य मुजावद
से प्यार है। वाकनुसार दिनांक 14.9.15
को पेश है।

4.9.15 वकूलाय उप. / कस्ते आदेश दिनांक 16.10.15 को
पेश है।

10
7.5 वादी वकील उप. / आरोप नही लिखा जा सका है
कस्ते पुनः बहर दिनांक 27.10.15 को पेश हो

10
7.15 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं है
कई बार आवाज दिलाई गई। फिर भी वादी वकील
एवं वादी में से कोई भी उपस्थित नहीं थी अतः
आदम हाजिरी आदम पैरवी में दारारबारिज किया
जाता है पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से
कम होकर दारिखत दफतर हो।

उप जिला कलेक्टर